भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1906
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

दूरसंचार सेवाप्रदाताओं की संख्या में कमी और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा

1906. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में दूरसंचार सेवाप्रदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और वर्तमान में केवल तीन प्रमुख निजी ऑपरेटर हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विगत वर्षों के दौरान दूरसंचार कंपनियों की संख्या में हुई इस अत्यधिक कमी के चिन्हित कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में कमी और एकाधिकार या मात्र दो पक्षों के अधिकार की बाजार प्रवृत्तियों की संभावना से उत्तपन्न चिंताओं पर ध्यान दिया है;

(घ) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा और अधिक कंपनियों को प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई उपाय कर रही है या करने का उसका प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि सेवाप्रदाता कंपनियों की संख्या कम होने से वे मनमानी दरें वसूल रही हैं और यदि हां, तो उपभोक्ता हितों की रक्षा और किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) मोबाइल सेवा बाजार में, अधिकांश तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य तौर पर 3 से 4 सेवा प्रदाता होते हैं। भारत में भी तीन निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता और एक सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदाता मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(घ) सरकार ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और ज़्यादा कंपनियों को दूरसंचार क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपाय किए हैं। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को तर्कसंगत बनाना।
- ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाना और लाइसेंस शुल्क (एलएफ) के देरी से भुगतान पर अर्थदण्ड को हटाना।
- लाइसेंस करार के तहत बैंक गारंटी अपेक्षाओं को तर्कसंगत बनाना।
- सितंबर 2021 के बाद आयोजित नीलामी में अधिग्रहीत स्पेक्ट्रम पर स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार लगाने को हटाना।
- सितंबर 2021 के बाद आयोजित नीलामी के लिए 20 समान वार्षिक किस्तों में स्पेक्ट्रम के भुगतान का प्रावधान।
- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू सुरक्षा उपायों के साथ दूरसंचार क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की गई।

(ङ) मौजूदा विनियामक ढांचे के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाओं और लीज्ड़ सर्किटों, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी), और अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी) को छोड़कर टैरिफ दर सहित और दूरसंचार सेवाओं से संबंधित शर्तें फोरबियरेन्स के अधीन हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दूरसंचार टैरिफ दुनिया में सबसे कम हैं।
